

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

रडी (11-50)

डिवीजन सीता वरुड

बनाम

डिवीजन सीता वरुड

किस्म मुकद्दमा

53 R + Act

नं. 11/18

सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट 4055R पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>सीता / कर्दमा लाल शंभरी का मन्दावी</u> <u>जमीन कि फारस डायलगापल एडमिड डार</u> <u>नम्बर 632/ 0.10 0.70</u> <u>पत्रावली मय</u> <u>डिवीजन सीता वरुड</u> <u>मय</u> <u>पत्रावली मय</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>फारस डायलगापल कर्दमा लाल शंभरी</u> <u>632/ 0.10 0.70</u> <u>डिवीजन सीता वरुड</u> <u>पत्रावली मय</u> <u>डिवीजन सीता वरुड</u> <u>मय</u> <u>पत्रावली मय</u></p>	
	<p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पत्रावली मय कलेक्टर
बडीसादडी (राज.)

